सं0– 2222 / उन्तीस / 04–2(20पे0) / 2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

पेयजल अनुभाग– देहरादून: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2004

विषय:– वित्तीय वर्ष 2004–05 में जिला सेक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार / पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक, कार्यालय उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून के पत्रांक 1873 / धनावंटन / 2004–05 दिनांक 26 अगस्त ,2004 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या 921 / उन्तीस / 04–2(20पे0) / 2004 दिनांक 07 मई, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार / पुर्नगठन / एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निम्नवत् जनपदवार विवरणानुसार जिला योजना के अन्तर्गत अवशेष रू0 18,57,20,000 / –(रू0 अटठारह करोड़ सत्तावन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि को अनुमोदित कार्यो पर व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परिव्यय लाख रू0 में	पूर्व अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	देहरादून	242.22	64.00	178.20
2	पौड़ी	350.00	79.00	271.00
3	चमोली	175.00	37.00	138.00
4	रूद्रप्रयाग	112.00	30.00	82.00
5	टिहरी	250.00	66.00	184.00
6	उत्तरकाशी	155.00	42.00	113.00
7	हरिद्वार	129.00	33.00	96.00
8	नैनीताल	165.00	45.00	120.00
9	उधमसिंह नगर	185.00	48.00	137.00
10	अल्मोड़ा	169.00	41.00	128.00
11	पिथौरागढ़	186.00	41.00	145.00
12	बागेश्वर	169.00	36.00	133.00
13	चम्पावत	170.00	38.00	132.00
	योग:–	2457.22	600.00	1857.20

2– स्वीकृत धनराशि उत्तरांचल जलसंस्थान के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/ नोडल अधिकारी (सम्बन्धित जनपद) के हस्ताक्षर तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी, के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत कर आहरित की जायेगी । इस सम्बंध में पूर्व स्वीकृत धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त ही उक्त धनराशि को कोषागार से आहरित किया जायेगा तथा जिन जनपदों में पूर्व स्वीकृत धनराशि के 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर लिया गया हो वे स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सकते है।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो पर किया जायेगा जिनके लिए जनपद की जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो तथा अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत हो। स्वीकृत धनराशि ऐसे कार्यो पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति नही है अथवा जो विवाद ग्रस्त हों । दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्स्थापना/पुनर्गठन हेतु वित्त पोषण यदि दैवीय आपदा से हो गया हो तो क्षतिग्रस्त योजनाओं में प्राविधानित धनराशि का उपयोग अन्य योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जा रही है कि उक्त धनराशि से प्रथमतया 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजना, द्वितीय 50 प्रतिशत या उससे अधिक पूर्ण योजना एवं तृतीय 25 प्रतिशत से अधिक पूर्ण योजना पर व्यय की जायेगी एवं कोई भी अधूरी योजना न रहने की स्थिति में नयी योजना में धनराशि व्यय की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये गये कार्यो की कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराये जायें।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एव विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय गुणवत्ता से सम्बन्धित सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा ।

7– स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग 31 मार्च, 2005 तक सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाय।

8– यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जनपदवार उन्ही योजनाओं पर व्यय किया जाये जो जिला नियोजन एव अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपदवार प्लान परिव्यय के अनुसार ही हों।

10– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में अनुदान सं0–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215– जलापूर्ति तथा सफाई–01 – जलपूर्ति– आयोजनागत– 102– ग्रामीण

जलपूर्ति कार्यक्रम –91–जिलायोजना –02– ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं का जीर्णोद्धार –20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा

11– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं 1445/वि0अनु0–3/2004 दिनांक– 05 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 2222/(1)/उन्नीस/04–2–(20पे0)/2004 तद् दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2– मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ पौड़ी/नैनीताल।
3– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून ।
4– महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, /पौडी/नैनीताल ।
5– कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तरांचल ।
6– अध्यक्ष, उत्तरांचल जल संस्थान ,देहरादून ।
7– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून ।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9– निजी सचिव/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री, उत्तरांचल ।
10– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव